मु.नं.–62 / 2021 GCMS ID-2021/105 ता.रजु–23.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रवि बंसल पुत्र श्री कैलाश चंद बंसल, निवासी बी–61, न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के पास, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 05.08.21, 11.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर क्रम संख्या AC804743 को हिण्डौन सिटी से दिनांक 17.10.2016 से पूर्व या 17.10.2016 को क्रय करने वाले स्टाम्प वेण्डर का नाम / विवरण (2) नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर क्रम संख्या AC804743 को क्रय करने वाले स्टाम्प वेण्डर के लाईसेन्स की क्रय दिनांक को स्थिति (3) नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर क्रम संख्या AC804743 की स्टाम्प वेण्डर द्वारा प्रस्तुत की गई स्थिति (यथा–विक्रय / गुमशुदा / चोरी होना / क्षतिग्रस्त होना आदि) और इस स्थिति की दिनांक आदि कुल 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 1 पृष्ठ में तैयार कर पत्रांक 102–103 दिनांक 16.07.2021 एवं पुनः दिनांक 112–113 दिनांक 27.07.2021 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को 1 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली